न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 03/2026 **GCMS NO – 2026/15**

दीपिका गुर्जर पुत्री स्व. श्री चन्दालाल गुर्जर, आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम कोल्याणा, भानपुरकलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र स्व. चन्दालाल
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. चन्दालाल
3. संतोष देवी पुत्री स्व. चन्दालाल
4. सुप्यार देवी पत्नी स्व. चन्दालाल
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्दालाल
   निवासीयान ग्राम कोल्याणा, भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राजस्थान)।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. गोपाल लाल पुत्र श्री पांचूराम निवासी ढाणी पटेल की, ग्राम जगन्नाथपुरा, पोस्ट सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 10.11.2023 ग्राम कोल्याणा, पटवार हल्का इन्द्रगढ, भू.अ.निरीक्षक भानपुरकलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर का नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा खोला गया, के विरूद्ध।

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री आर.पी.शर्मा, श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 13.02.2026

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय 01.12.2023 जिससे नामान्तरकरण संख्या 192 वाके ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 02.02.2026 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। रेस्पा0 संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी.शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण की ऑनलाईन छायाप्रति उपलब्ध है। वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पा0 संख्या 7 की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अपीलांट के पिता स्व0. चन्दालाल पुत्र स्व. श्री लादुराम जी थे। अपीलांट के पिता का देहावसान दिनांक 22.09.2023 हो गया। उक्त पैतृक आराजीयात में अपीलांट का हिस्सा 1/6 हिस्सा निहित था। इसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 ने साज कर गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट के नाबालिग होने का फायदा उठाकर स्व0 चन्दालाल के वारिसान का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपने नाम से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 192 खुलवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

से अपील पेश की गयी है। अपीलांट के परिवार के राशन कार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज है एवं अपीलांट के आधार कार्ड, पेन कार्ड, कक्षा 10 की अंकतालिका में अपीलांट के पिता का नाम चन्दा राम गुर्जर अंकित है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट स्व0 चन्दालाल गुर्जर की विधिक वारिस है। अपीलांट द्वारा गलत शपथ पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसार अपीलांट के नाम से अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अपीलांट स्व0 चन्दालाल की प्रथम श्रेणी वारिसान है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को दिनांक 02.02.2026 को ऑनलाईन जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुयी जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 01.12.2023 वाके ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात के वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व उसके भाई–बहिन है। अपीलाधीन आराजीयात के पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार चन्दालाल द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की माता लादी देवी पत्नि पांचूराम गुर्जर के हक में दिनांक 11.07.2007 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि का बेचान किया गया था एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर लादी देवी के वारिसान द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ के समक्ष के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में दिनांक 09.01.2026 को वाद वादीगण के हक में डिक्री हो गया एवं उक्त डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आराजीयात का नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 7 के हक में नामान्तकरण भी तस्दीक हो गया। अपीलांट के हक अधिकार नामान्तकरण की अपील में तय नहीं हो सकते है। अपीलांट द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्य छुपाते हुए अपील पेश की गयी है। अपील अपीलांट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 192 वाके ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक न्यायालय मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं फर्द मौका के आधार पर दिनांक 10.11.2023 को दर्ज किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 01.12.2023 को नामान्तकरण संख्या 192 तस्दीक किया गया। विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता स्व0 चन्दालाल पुत्र

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

लादू द्वारा लादी देवी पन्ति स्व0 पांचूराम गुर्जर के हक में अपीलाधीन आराजीयात का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2007 को बेचान किया गया। स्व0 लादी देवी के वारिसान द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ के समक्ष वाद संख्या 22/2024 बउनवानी लादी देवी बनाम अमरसिंह पेश किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा उक्त वाद वादीगण के पक्ष में दिनांक 09.01.2026 डिक्री किया गया। उक्त डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 04.02.2026 रेस्पा0 संख्या 7 एवं लादी देवी के वारिसान के हक में तस्दीक किया गया। अपीलाधीन आराजीयात के वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार लादी देवी के वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट स्व. चन्दालाल की जायन्दा पुत्री है इसलिए अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट का हक अधिकार निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, न्यायालय हाजा को किसी के हक, अधिकार तय करने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। अपीलांट के अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट का किसी प्रकार से हक, अधिकार निहित है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई द्वारा ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 192 पटवारी हल्का द्वारा रेस्पाडेन्ट के शपथ पत्र एवं फर्द मौका रिपोर्ट 09.11.2023 के आधार पर भरा गया है एवं उक्त शपथ पत्र एवं फर्द मौका जांच वारिसान में अपीलांट का नाम अंकित नहीं है। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 192 को चुनौती दी गयी है तथा अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में डिक्री आदेश के आधार पर नामान्तकरण संख्या 240 भी तस्दीक किया जा चुका है। अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा डिक्री आदेश भी पारित किया गया है एवं वर्तमान में डिक्री आदेश अस्तित्व में होने से तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर